

समाहरणालय, मधेपुरा

(विधि-व्यवस्था कोषांग)

-: जिला संयुक्त आदेश :-

कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के सदस्य का निर्वाचन, 2017 के निमित्त दिनांक 09-03-2017 (बृहस्पतिवार) को 08:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक मतदान होना निर्धारित है। कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के निर्वाचन, 2017 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने के निमित्त विधि-व्यवस्था संधारण हेतु मधेपुरा जिलान्तर्गत अवस्थित कुल 13 मतदान केन्द्रों के लिए मतदान केन्द्र-वार स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह-मतपेटिका संग्रहण एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-

क्र०	मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम	स्टैटिक दण्डाधिकारी -सह-मतपेटिका संग्रहण दण्डाधिकारी	पुलिस पदाधिकारी का नाम /पदनाम /मोबाईल सं०	सशस्त्र बल
1	13-प्रखंड कार्यालय परिसर, मधेपुरा	श्री कृष्ण मोहन प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा-9472942901	पु०अ०नि० राजेश चौधरी, मधेपुरा थाना	1-4
2	14- प्रखंड कार्यालय परिसर, चैलाढ़	श्री रविशंकर शर्मा, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधेपुरा-8544412343	पु०अ०नि० पशुपति नाथ सिंह, चैलाढ़ ओ०पी०	1-4
3	15- प्रखंड कार्यालय परिसर, सिंहेश्वर	श्रीमती राखी कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई० सी० डी० एस०, मधेपुरा- 9431005045	पु०अ०नि० रामबाबु विश्वकर्मा, सिंहेश्वर थाना	1-4
4	16- प्रखंड कार्यालय परिसर, गम्हरिया	श्री विजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, एन०एच०, मधेपुरा-9470001321	पु०अ०नि० विन्देश्वर राम, गम्हरिया थाना	1-4
5	17- प्रखंड कार्यालय परिसर, मुरलीगंज	श्री जय प्रकाश नारायण, जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा-9934951466	पु०अ०नि० परमात्मा सिंह, मुरलीगंज थाना	1-4
6	18- प्रखंड कार्यालय परिसर, कुमारखंड	श्री सुबोध कुमार, भ्रम अधीक्षक, मधेपुरा- 9122474292	पु०अ०नि० भूपनाथ झा, कुमारखंड थाना	1-4
7	19- प्रखंड कार्यालय परिसर, शंकरपुर	श्री मनोज कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा-9431455189	पु०अ०नि० सीताराम दास, शंकरपुर थाना	1-4
8	20- प्रखंड कार्यालय परिसर, ग्वालपाड़ा	श्री राम विलास शर्मा, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा० प्रमंडल, मधेपुरा-8544428595	स०अ०नि० राजकिशोर यादव, ग्वालपाड़ा थाना	1-4
9	21- प्रखंड कार्यालय परिसर, बिहारीगंज	श्री राम स्वरूप राम, कार्य० अभि० काडा, मधेपुरा-9431675932	पु०अ०नि० वीरेन्द्र ठाकुर, बिहारीगंज थाना	1-4
10	22- प्रखंड कार्यालय परिसर, उदाकिशुनगंज	श्री राजेश रौशन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा-9006383551	पु०अ०नि० रविन्द्र नारायण, उदाकिशुनगंज थाना	1-4

11	23- प्रखंड कार्यालय परिसर, पुरैनी	श्री सुशील कुमार प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, उदाकिशुनगंज- 8986915756	स0अ0नि0 रामाश्रय शर्मा, पुरैनी थाना	1-4
12	24- प्रखंड कार्यालय परिसर, आलमनगर	श्री राजेश कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा-9430291344	पु0अ0नि0 जयचन्द कुमार, आलमनगर थाना	1-4
13	25- प्रखंड कार्यालय परिसर, चौसा	श्री विनय कुमार सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, उदाकिशुनगंज- 8544412344	पु0अ0नि0 नकुल कुमार, चौसा थाना	1-4

साथ ही उक्त मतदान के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न करने के निमित्त सम्पूर्ण जिला क्षेत्र को कुल-02 जोन में विभक्त कर जोनल दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की निम्नांकित विवरणी के अनुरूप प्रतिनियुक्त की जाती है :-

कोशी शिक्षक निर्वाचन, 2017 के अवसर पर जोन गठन :-

क्र0	जोन का मुख्यालय	जोनल पदाधिकारी	जोनल पुलिस पदाधिकारी	जोन क्षेत्र
1	मधेपुरा	श्री संजय कुमार निराला, अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा-9473191355	श्री राजेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा- 9431800034	मधेपुरा अनुमंडल क्षेत्र
2	उदाकिशुनगंज	श्री गुकेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज- 9473191356	श्री अरुण कुमार दुबे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज-9431800033	उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र

सभी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने सम्बद्ध थाना वाहन एवं पुलिस पदाधिकारी /सशस्त्र बल के साथ दिनांक 08-03-2017 को 09:00 बजे पूर्वाह्न समाहरणालय, मधेपुरा में उप निर्वाचन पदाधिकारी के यहां रिपोर्ट करेंगे एवं प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह- मतपेटिका संग्रहण दण्डाधिकारी के साथ सम्बद्ध होकर समाहरणालय सभा कक्ष में 01:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के संयुक्त संबोधन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त श्री राजेश रौशन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा-सह-प्रभारी पदाधिकारी, मतपत्र कोषांग से मतपत्र /पेपरसील एवं अन्य सामग्री प्राप्त कर उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा से ईधन प्राप्त करेंगे एवं अपने-अपने आवंटित मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी स्टैटिक दण्डाधिकारी अपने-अपने विभागीय वाहन के साथ रहेंगे तथा जिन पदाधिकारियों को वाहन उपलब्ध नहीं है, उन्हें जिला वाहन कोषांग, समाहरणालय, मधेपुरा से वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही सभी गाड़ियों में ईधन जिला निर्वाचन कार्यालय, मधेपुरा द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सभी स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह-मतपेटिका संग्रहण दल दिनांक 08-03-2017 के 04:00 बजे अपराह्न तक संबंधित मतदान केन्द्र का भौतिक निरीक्षण कर मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त मतदान दल एवं स्टैटिक पुलिस बल का सत्यापन कर लेंगे एवं इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को देंगे। निर्वाचन की तिथि 09-03-2017 को 05:00

बजे पूर्वा० में संबंधित क्षेत्र में पहुँच कर मतदान प्रारंभ होने के पूर्व वितंतु /मोबाईल से जिला नियंत्रण कक्ष को मतदान प्रारंभ करने संबंधी तैयारी की सूचना देंगे।

जिला नियंत्रण कक्ष में कार्यरत दूरभाष /फैक्स संख्या की विवरणी निम्न प्रकार है :-

दूरभाष संख्या : 06476-222175 /223999

टॉल फ्री नं० : 18003456350

फैक्स संख्या : 06476-222005

मतदान की अवधि में स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह-मतपेटिका संग्रहण संबंधित मतदान केन्द्र पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्षपूर्ण मतदान कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश दिया जाता है कि मतदान केन्द्र के आसपास के क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु सम्पूर्ण मतदान अवधि में अपने स्तर से पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह-मतपेटिका संग्रहण अपने जोनल दण्डाधिकारियों से लगातार वितंतु से सम्पर्क बनाये रखेंगे एवं जिला नियंत्रण कक्ष को मतदान की प्रगति से अवगत कराते रहेंगे।

मतदान के दौरान प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी को निम्नांकित कार्य संपादित करना है :-

1. मतदान के दिन प्रत्येक घंटे पर खैरियत रिपोर्ट एवं मतदान के प्रतिशत के संबंध में प्रतिवेदन /सूचना विहित प्रपत्र में निर्वाची पदाधिकारी एवं जिला नियंत्रण कक्ष में दूरभाष /वितंतु /फैक्स के माध्यम से निश्चित रूप से उपलब्ध कराना। साथ ही 07:00 बजे अप० तक अंतिम प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
2. जिला नियंत्रण कक्ष से किसी प्रकार का निदेश प्राप्त होने पर त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करना।
3. मतदान के अवसर पर सम्पूर्ण जिला क्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराना।
4. मतदान के दौरान भारत निर्वाचन आयोग एवं आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां-सह-निर्वाची पदाधिकारी, कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत निर्वाचन अपराध के लिए संगत धाराओं (125 से 136) के उल्लंघन दृष्टिगोचर होने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
6. सभी पीठासीन पदाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी के बीच आपस में समन्वय स्थापित कर अपने-अपने दायित्व का निर्वहन कराएंगे।
7. अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज अपने-अपने जोन में सघन दौरा कर मतदान प्रक्रिया का विधिवत् संचालन सम्पन्न कराएंगे एवं विधि-व्यवस्था की स्थिति पर सतत् निगरानी रखेंगे।

